

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demonstration by Chief Minister, MPs and MLAS of Madhya Pradesh

श्री सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): उपसभापति जी, आज मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के उपवास पर बैठे हैं। केन्द्र सरकार जिस तरह का भेदभाव कर रही है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यह जीरो ऑवर है, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं बता रही हूँ क्यों ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार जिस तरह का पक्षपात ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मेहरबानी करके आप सुनिए ...(व्यवधान)... आप सुनिए। सुनने के पहले react मत करिए प्लीज।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, दोबारा से शुरू करवाइए।

श्री उपसभापति : आप दोबारा से शुरू कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: केन्द्र सरकार जिस तरह से पक्षपात का रवैया मध्य प्रदेश के खिलाफ अपनाए हुए है ...(व्यवधान)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, how can we discuss the conduct of a Chief Minister here? ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; please ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: The actions of the Chief Ministers ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I request you that it is Zero Hour. Once it is admitted, respect the Chair. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Then, I will also ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, respect the Chair. You give the notice. If it is accepted, you will also be allowed. ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: The High Court's observations ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please, please ...(Interruptions)...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: ...(Interruptions)... concerning the Gujarat Chief Minister. ...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, don't raise those issues here. We have to follow certain rules. ...(Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, केन्द्र सरकार जिस तरह के पक्षपात का रवैया अपनाए हुए है, वह हम लोगों के लिए असह्य हो गया है। इसलिए हम लोग भी आज संसद के बाहर धरने पर इसी के विरोध में बैठे थे। उपसभापति जी, जो पक्षपात हो रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहला यह है कि एपीएल का कोटा मध्य प्रदेश में पीडीएस में केवल 11 हजार मीट्रिक टन दिया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तमिलनाडु में, जहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार है, उनको 2 लाख 40 हजार मीट्रिक टन मिला है, आन्ध्र प्रदेश, जहाँ कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार है, उनको 2 लाख 40 हजार मीट्रिक टन मिला है, आन्ध्र प्रदेश, जहाँ पर कांग्रेस की स्वयं की सरकार हैं, उनको 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश ने 1 लाख 36 हजार की मांग की, उसके विरुद्ध उनको केवल 11 हजार मीट्रिक टन मिला। लेकिन मध्य प्रदेश ने 1 लाख 36 हजार की मांग की, उसके विरुद्ध उनको केवल 11 हजार मीट्रिक टन मिला। भेदभाव का यह पहला उदाहरण हुआ।

दूसरा उदाहरण बीपीएल काडर्स का है। उपसभापति महोदय, मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 60 लाख परिवार हैं। लेकिन सरकार ...(व्यवधान)...

PROF. P.J. KURIEN (Kerala): Sir, she is misleading.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kurien, please sit down. ...*(Interruptions)*... Are you a Minister to reply? You are replying! Please sit down. ...*(Interruptions)*...

PROF. P.J. KURIEN: Sir, she is misleading. ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This way, we will not be able to function. The way we have been taking up the issues has been appreciated. Please allow this thing to go on. Please sit down. ...*(Interruptions)*

PROF. P.J. KURIEN: Sir ...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the government react. ...*(Interruptions)* Mr. Keshubhai, please sit down. *(Interruptions)*... The procedure is, Zero Hour notices are given and Mr. Chairman examines them. After examining the applicability, the notices are there and three minutes are given. The Member has every right to say whatever he wants to. You have a right to say whatever you want to by giving a notice. So, please do not disturb. I will have to again give her the time.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, दूसरा उदाहरण बीपीएल कार्ड्स का है। मध्य प्रदेश में 60 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार केवल 41 लाख 25 हजार लोगों का कोटा देती है। आप स्वयं बताइए कि अगर हमें 41 लाख 25 हजार लोगों का खाद्यान्न मिलेगा और उसे हमें 60 लाख लोगों के बीच में बांटना होगा, तो क्या हम उन्हें पूरा खाद्यान्न दे सकते हैं? 35 किलो की जगह हम उन्हें केवल 20 किलो खाद्यान्न देने के लिए मजबूर हैं।

तीसरी बात तो मैं बहुत वेदना से कहना चाहती हूँ। दो दिन पहले यहां पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान का सबसे उम्दा क्वालिटी का गेहूं पैदा होता है। उपसभापति जी, मध्य प्रदेश का किसान देश का सबसे बढ़िया गेहूं पैदा करे, लेकिन मध्य प्रदेश का गरीब लाल गेहूं खाने को मजबूर हो, क्योंकि जो ये हमको बांटते हैं, वह लाल गेहूं बांटते हैं। जब हमने शिकायत की तो क्या आप जानते हैं कि केन्द्र सरकार ने क्या किया? कृषि मंत्री ने कहा कि हमारे पास तो केवल 50% देसी गेहूं है, इसलिए 50% हमसे ले लो और बाकी 50% अपने आप आयत कर लो, लेकिन हम आपको लाल गेहूं के अलावा कुछ दे नहीं सकते हैं। यह तीसरा उदाहरण है।

चौथा उदाहरण बिजली का है। आप जानते हैं कि अनाबंटित कोटे से हमको 350 मैगावाट बिजली मिलती थी। जब हमने शिकायत की कि आपने इसको क्यों घटा दिया, तो इन्होंने वह घटा कर 48 मैगावाट कर दी और जब वापस हम गुहार करने आए कि 350 मैगावाट से आपने 48 मैगावाट कर दी, तो बजाए बढ़ाने के, इन्होंने उसे घटा कर 31 मैगावाट कर दिया। यह चौथा उदाहरण है।

फिर कोयले का आबंटन आता है। हमारे अपने जो तीन ताप विद्युत गृह हैं, उनके लिए कोयले का आबंटन केन्द्र सरकार कराती है, लेकिन तीनों विद्युत गृहों को कोयले का आबंटन हमारी आवश्यकता से कम किया जा रहा है।

उपसभापति जी, मध्य प्रदेश के 39 जिले सूखे से ग्रस्त हैं और इसे केन्द्र सरकार स्वयं भी मानती है। कृषि मंत्री ने स्वयं खड़े हो कर इस बात को माना है। हमने सूखा राहत के लिए 1883 करोड़ रुपये मांगे हैं, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि हमने एक समिति गठित कर दी है, उस समिति को इसे सौंप दिया है। वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, गालिब का एक शेर है:

ये तो माना के तगाफुल न करोगे लेकिन

खाक हो जाएंग हम तुमको खबर होने तक

जब तक आपकी समिति रिपोर्ट देगी, तब तक लोग बर्बाद हो चुके होंगे। 39 जिलों में फसल पैदा नहीं हो रही है, वहां एक दाना भी पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि इसे समिति को सौंप दिया गया है।

इसी तरह इन्दिरा आवास योजना में, मध्य प्रदेश में 7 लाख 60 हजार आवास फिल्ट हो गए, लेकिन केन्द्र सरकार केवल 2 लाख 2 हजार मानती है और उसके बाद राशि देती हैं केवल 47 हजार की।

इस तरह मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश को बिजली पूरी नहीं देती, राशन पूरा नहीं देती, कोयला पूरा नहीं देती, आवास की राशि पूरी नहीं देती, सूखा राहत के लिए एक नया पैसा भी नहीं देती, तो हम अब क्या करें? इसलिए मुख्य मंत्री उपवास पर बैठे थे, हम धरने पर बैठे थे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश के साथ चला हुआ यह पक्षपात समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी चेते, वरना मध्य प्रदेश के लोग इस भेदभाव को सहन नहीं करेंगे। इससे पहले कि स्थिति बिगड़े और गलत स्थिति का निर्माण हो, मैं चाहूँगी कि केन्द्र सरकार चेते।

श्री उपसभापति: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, मैं। इनके इस उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): सर, मैं इनके इस उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

कई माननीय सदस्य: सर, हम भी इनके इस उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

श्री उपसभापति : ठीक है, एसोसिएट हो गया है।

Request to regularise services of Casual workers of BSNL in Orissa

MS. SUSHILA TIRIYA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to raise an issue relating to the casual labourers of BSNL in Orissa who are still to be regularised. In spite of the fact that they have served as casual labour for a long time in different units of BSNL in Orissa they are still to be regularised and they are to be counted as employees. The total number of these casual labourers is about 1500. They have been demanding it for a long time and the BSNL Office in Delhi has also sent directions to Orissa BSNL in this regard to regularise them and settle their problems. This direction was given in 2003 but their problems are yet to be settled. Sir, most of the casual labourers belong to the SC/ST and Backward Castes. Most of them are from my district of Mayurbhanj. Last time the TDM had recommended only 21 cases to the BSNL Orissa Circle for regularisation and out of that only 4 persons were regularised. Lastly, they have taken shelter of the court and the court has also directed the BSNL to regularise them and settle their problems. Their lives are under stress and their future is uncertain. My submission, through you, Sir, to the Minister is that in spite of the intervention of the court and direction from the Delhi Office of BSNL the SC/ST/ OBCs casual labourers of BSNL in Orissa in general and casual labourers of my district Mayurbhanj in particular who are also living below poverty line are regularised immediately. The directions given by the court and the Delhi BSNL should be obeyed by the Orissa BSNL as well its district units. Thank you very much.

SHRIPYARIMOHAN MOHAPATRA (Orissa): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

Dismay over Reported statement by Union Minister of Health and Family Welfare against people of Bihar and Uttar Pradesh for spreading diseases

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक बड़ी दुखद और